454

झारखण्ड सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय
तृतीय तल JSFC भवन, कडरू, राँची–834002

आदेश

संख्या–खा0उप0नि0–01–स्था0–6/2023–341 राँची, दिनांक–18/2/2026

झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के विज्ञापन संख्या–10/2023 (नियमित) झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची द्वारा 09 अतिरिक्त की गई अनुशंसा के आलोक में निम्न अभ्यर्थियों को प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के वेतनमान–Pay Matrix Level-6 (35,400 - 1,12,400) में उनके योगदान करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	रौल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	जन्म तिथि	कोटि	मेधा क्रमांक	स्थायी पता (गृह जिला)
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	2125004	CHANDAN KUMAR	KAPILDEV PRASAD YADAV	05-07-1998	UR	699	GIRIDIH
2	2119683	DEEPAK KUMAR RAUT	MAHENDRA RAUT	20-05-1996	UR	703	GIRIDIH
3	2264443	ANIL KUMAR	JAGDISH MAHTO	02-03-1996	BC-II	710	CHATRA
4	2087525	MANISHA KUMARI	SUNIL KUMAR PANDIT	07-01-1994	EBC-1-F	953	GODDA
5	2058470	TIRTHO DEY	MAHADEB DEY	16-10-2000	BC-II	1118	DHANBAD
6	2240267	CHANDNI KUMARI	NAGMANI YADAV	19-07-1997	BC-II-F	1217	KODERMA
7	2085438	VIVEK KUMAR	SURENDAR KUMAR RAWANI	12-10-1991	UR/PCCP	2644	DEOGHAR
8	2123267	PAPPU KUMAR RAJAK	PRAYAG BAITHA	21-09-1994	SC	3426	GIRIDIH
9	2199894	PREETI KUMARI	SUDAMA RAM	20-10-1995	SC-F	4760	GUMLA

(i) अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि योगदान की तिथि से दो वर्षों की होगी तथा परीक्ष्यमान अवधि में संतोषप्रद सेवा नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकती है या परीक्ष्यमान अवधि को बढाया जा सकता है।अभ्यर्थी की वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित मेधा क्रमांक के अनुसार होगी। इस कार्यालय आदेश की क्रम संख्या वरीयता सूची/मेधा क्रमांक नहीं है।

(ii) अभ्यर्थी का पदस्थापन हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। तद्नुसार विभागीय वेबसाईट (www.jharkhand.gov.in/food) से डाउनलोड कर पदस्थापित स्थान पर आदेश निर्गत की तिथि से एक माह के अंदर अनिवार्य रूप से योगदान देना होगा।

(iii) समर्पित प्रमाण पत्रों में भविष्य में जाँचोपरांत किसी प्रकार की विसंगति पाये जाने पर उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द की जाएगी एवं अन्य विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

(iv) नवनियुक्त प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण/क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम हेतु प्रतिनियुक्त किया जा सकेगा तथा उनकी प्रशिक्षण में सहभागिता अनिवार्य होगी।

(v) अभ्यर्थी को योगदान देते समय कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–1919 दिनांक–28.01.1976 द्वारा दहेज न लेने से संबंधित घोषण पत्र एवं अधिसूचना संख्या–5437 दिनांक–09.09.2010 एवं 9519 दिनांक–22.09.2014 के आलोक में चल–अचल सम्पति का ब्योरा विहित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(vi) अभ्यर्थी को योगदान के 15 दिनों के अंदर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के परिपत्र संख्या–4193, दिनांक 19.08.2025 के संदर्भ में iGOT Portal के माध्यम से Pre-Induction Training पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(vii) अभ्यर्थी को योगदान के समय तक पूर्व नियोक्ता द्वारा निर्गत विरमन आदेश (Relieving Order) की मूल प्रति/पूर्व सेवा से त्यागपत्र की प्रति अनिवार्य रूप से समर्पित करना होगा।

(viii) योगदान देते समय अभ्यर्थी का असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ix) पूर्ववृत्त चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन प्रतिकूल पाये जाने पर एक महीने की सूचना पर सेवा समाप्त की जा सकती है।

(x) योगदान के लिए कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

(xi) W.P (PIL) No. 5717/2024, Prakash Kumar and Others Versus The State of Jharkhand & Ors मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.12.2025 को पारित आदेश के आलोक में झारखण्ड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा–2023 के अन्तर्गत कथित कदाचार की जाँच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित SIT द्वारा जाँच के क्रम में यदि भविष्य में कोई अनुशंसित अभ्यर्थी दोषी पाये जाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा आयोग द्वारा संबंधित अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस लेते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

18/2/2026

(दिलीप तिर्की),
निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6 / 2023–341 **राँची, दिनांक**–18 / 2 / 2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हक0), झारखण्ड, रांची / सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6 / 2023–341 **राँची, दिनांक**–18 / 2 / 2026

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड, राँची के प्रधान सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, राँची / सचिव, वित्त विभाग, राँची / सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, राँची / सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, राँची / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, राँची / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची / सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी, राँची / धनबाद / पूर्वी सिंहभूम / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, झारखण्ड / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

निदेशक।

ज्ञापांक–खा0उप0नि0–01–स्था०–6 / 2023–341 **राँची, दिनांक**–18 / 2 / 2026

प्रतिलिपिः–सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2026

निदेशक।